संख्या- 46 / 1186 /चार-2015-15(बजट)/12

प्रेषक,

राम विशाल मिश्र
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2015

विषय:- टैगोर कल्चरल काम्पलेक्स योजनान्तर्गत राष्ट्रीय कथक संस्थान , लखनऊ के भवन निर्माण हेतु पुनिर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि विषयक शासनादेश संख्या- 41/912/चार-2015-15 (बजट)/12 , दिनांक 25 मार्च,2015 में आंशिक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि टैगोर कल्चरल काम्पलेक्स योजनान्तर्गत राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ के भवन निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष शासनादेश संख्या- 41/912/चार-2015-15 (बजट)/12 , दिनांक 25 मार्च,2015 द्वारा धनराशि रू0 66.66 लाख की पुनर्विनियोग के माध्यम से दी गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में आपके पत्र संख्या-3639/सं0नि-6(53)/2012-13, दिनांक 29 मार्च, 2015 के अनुरोध के क्रम में प्रश्नगत शासनादेश संख्या- 41/912/चार-2015-15 (बजट)/12 , दिनांक 25 मार्च,2015 के प्रस्तर-3 के अंश " उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92- के अधीन लेखाशीर्षक-4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनागत -04-कला तथा संस्कृति -800-अन्य व्यय-03-प्रेक्षागृह/खुलामंच का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा। " के स्थान पर आंशिक संशोधन के उपरान्त प्रश्नगत अंश को निम्नवत् अंश पढ़ा जाय:-

"उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92- के अधीन लेखाशीर्षक-4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनागत -04-कला तथा संस्कृति -800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102-राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ का भवन निर्माण (के060/रा 40) 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-

http://snasanadesh.up.nic.in

आयोजनागत 04- कला तथा संस्कृति 800 - अन्य व्यय 03- प्रेक्षागृह/खुलामंच का निर्माण 24- वृहत निर्माण मद में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।"

2- उक्त शासनादेश संख्या- 41/912/चार-2015-15 (बजट)/12 , दिनांक 25 मार्च,2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

प्रश्नगत शासनादेश संख्या- 41/912/चार-2015-15 (बजट)/12 , दिनांक 25 मार्च,2015 की शेष शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई- 7-332/दस-2015, दिनांक 30 मार्च,2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या- 46 / 1186 (1)/चार-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
6- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in